

जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर

पत्रांक...../एम0 दिनांक.....।

सेवा में,

मेसर्स मॉ तारा ईट उद्योग

प्रो०- श्री संजय कुमार सिंह

ग्राम- आवास नगर पुलिस लाइन, थाना-अहियापुर

जिला- मुजफ्फरपुर बिहार

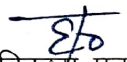
विषय:- खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुजफ्फरपुर बिहार जिलान्तर्गत, पारु थानान्तर्गत मौजा/ग्राम- गाढा हसन, खाता नं०-128, 129, 24, 90, 36, 17, 62, 127, 01 खेसरा नं०- 28, 29, 30, 98, 197, 214, 666, 771, 852, 853, 857, 893, 912, 945, 949, 982, 1004, 1033, 1053, 1054, 1113, 1115, 1244, 1253, 1254 एवं रकबा-2.04 हेक्टेयर व 5.05 एकड़ में लघु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-4156/एम0 पटना दिनांक-27.12.16 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

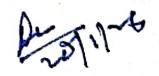
1. खनन योजना का अनुमोदन 6609 घन मी० प्रतिवर्ष में साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. खनन कार्य से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति एवं संबंधित जिला खनन कार्यालय में खनन रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं अन्य देय राशि जमा कर खनन की अनुमति संबंधी अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य है।
3. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 1.8 मी० से अधिक नहीं होगा।
4. खनन कार्य ग्राउन्डवाटर लेवल से कम से कम 1.8 मी० उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
5. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
6. ईट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रिया कलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
7. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलापकार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
9. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

10. ढुलाई के दौरान खोदीगई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
11. मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
12. कामगारों/मजदूरों को पेय जल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
13. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
14. राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में " ईंट मिट्टी " अथवा साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बना कर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 1.5 मी० एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मी० होनी चाहिए।
16. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जाएगा।
17. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
18. खनन कार्य मानसून के समय में नहीं की जाएगी।
19. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।


 खनिज विकास पदाधिकारी
 जिला खनन कार्यालय
 मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक.....60...../एम० दिनांक.....20/01/2026
 प्रतिलिपि:- R.Q.P डॉ० राकेश कुमार सिंह को सूचनार्थ प्रेषित।




 खनिज विकास पदाधिकारी
 जिला खनन कार्यालय
 मुजफ्फरपुर